प्राक्कथन

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सिविल मंत्रालयों, में लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत निष्कर्ष सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो कि 2010-11 में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। तथापि, पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित मामलों जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सकता तथा 2010-11 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, को भी शामिल किया गया है।